शिकायत फार्म

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन शिकायत के लिए फार्म

शिकायत मामला सं	
माननीय जिला फोरम के समक्ष	
अथवा	
राज्य आयोगके समक्ष	
अथवा	
राष्ट्रीय आयोग	के समक्ष
को मामले में श्रीकी शिकायत सं	•••••
शिकायतकर्ता∕ शिकायतकर्ताओं का नाम एवं पता	
बनाम	
विरोधी पार्टी ⁄ पार्टियों का नाम एवं पता	•••••
मैं⁄हम, उपरोक्त शिकायतकर्ता, माननीय फोरम∕आयोग के समक्ष सादर निम्न रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं:-	
इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि:-	
1. विरोधी पार्टी को निर्देश दिया जाए कि वे शिकायतकर्ता कोर.	
का भुगतान करे।	
2. कृपया शिकायतकर्ता को देय अवधि में हुई मानसिक वेदना एवं उत्पीड़न के लिएरू. मुआवजे	
के रूप में प्रदान किया जाए।	
3. मुकदमे की लागत को समुचित रूप में प्रदान किया जाए।	
स्थान:	शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर
दिनांक:	
	(शिकायतकर्ता का नाम)
<u>सत्यापन</u>	
मेंसुपुत्रआयु	[
उपरोक्त शिकायतकर्ता, सत्यनिष्ठा से एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त में की गई शिकायत मेरी	
जानकारी के अनुसार सत्य है एवं इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि शिकायत में दिए गए	
परिशिष्ट 1, 2, एवं 3 मूल दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपियां हैं।	
को सत्यापित	
(क)परिशिष्ट-1	शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर
(ख) परिशिष्ट-2	(शिकायती∕गवाह का नाम)
(ग) परिशिष्ट-3	





उपभोक्ता के अधिकार

उपभोक्ता कौन है?

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए सामान अथवा सेवाएं खरीदता है वह उपभोक्ता है। क्रेता की अनुमित से ऐसे सामान/सेवाओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता है। अतः हम में से प्रत्येक किसी न किसी रूप में उपभोक्ता ही है।

उपभोक्ता के रूप में हमें कुछ अधिकार प्राप्त हैं जो इस प्रकार हैं:--

- सुरक्षा का अधिकार
- जानकारी होने का अधिकार
- चुनने का अधिकार
- सुनवाई का अधिकार
- शिकायत—निवारण का अधिकार
- उपभोक्ता–शिक्षा का अधिकार

शिकायत कौन दर्ज करा सकता है

- उपभोक्ता
- कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन जो समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा कम्पनी अधिनियम 1951 अथवा फिलहाल लागू किसी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत है।
- केन्द्र सरकार
- राज्य सरकार अथवा संघ क्षेत्र के प्रशासन

परिस्थितियां जिनके अंतर्गत शिकायत दर्ज की जा सकती है:—

शिकायत किन स्थितियों में

- किसी व्यापारी द्वारा अनुचित/प्रतिबंधात्मक पद्धित के
 प्रयोग करने से यदि आप को हानि/क्षित हुई है
- यदि खरीदे गए सामान में कोई खराबी है
- किराए पर ली गई / उपयोग की गई सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी पाई गई है।
- यदि आप से प्रदर्शित मूल्य अथवा लागू कानून द्वारा अथवा इसके मूल्य से अधिक मूल्य लिया गया है।
- यदि किसी कानून का उल्लंघन करते हुए जीवन तथा सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करने वाला सामान जनता को बेचा जा रहा है

शिकायत कैसे की जाए





अपनी शिकायत भेजें ताकि इसका समाधान हो सके!

शिकायत सादे कागज पर की जा सकती है। शिकायत में निम्नलिखित विवरण होना चाहिए:—

- शिकायत कर्ताओं तथा विपरीत पार्टी के नाम का विवरण तथा पता
- शिकायत से संबंधित तथ्य एवं यह सब कब और कहां हुआ
- शिकायत में उल्लिखित आरोपों के समर्थन में दस्तावेज
- शिकायत पर शिकायतकर्ताओं आथवा उसके प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर होने चाहिए

- शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी वकील की आवश्यकता नहीं
- नाममात्र न्यायालय शुल्क

शिकायत कहां की जाए

यह सामान सेवाओं की लागत अथवा मांगी गई क्षतिपूर्ति पर निर्भर करता है।

- यदि यह 20 लाख रू. से कम है– जिला फोरम में
- यदि यह 20 लाख रू. से अधिक लेकिन 1 करोड़ रू. से कम है— राज्य आयोग के समक्ष
- यदि 1 करोड़ रू. से अधिक है– राष्ट्रीय आयोग के समक्ष
- पता हमारे वैबसाईट www.fcamin.nic.in पर उपलब्ध है।

उपभोक्ताओं को उपलब्ध राहत

- सामान से खराबियां हटाना
- सामान को बदलना
- चुकाए गए मूल्य को वापिस देना
- हानि अथवा चोट के लिए क्षतिपूर्ति
- सेवाओं में त्रुटियां अथवा कमियां हटाना
- पार्टियों को पर्याप्त न्यायालय वाद—व्यय प्रदान करना









